का. नियोगी से ट्रेड यूनियन आंदोलन पर

दो बातचीत

शहीद शंकर गुहा नियोगी यादगार समिति
लोक साहित्य परिषद

प्रथम प्रकाश : ३ जून, १९९३
दल्ली-राजहरा शहीद दिवस

सहायता राशि : ३ रूपयें

प्रकाशक : लोक साहित्य परिषद
द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा
सी. एम. एस. एस. आफिस,
दल्ली राजहरा जि. दुर्ग (म. प्र.)
४९१ २२८

मुद्रक : बजाज प्रिन्टर्स, मेन रोड, दल्ली राजहरा

बातचीत १

(१२ फरवरी १९८१ को का. शंकर गुहा नियोगी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंदी बना लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद दल्ली-राजहरा के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। नियोगी जी की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में काफी शोर शराबा हुआ। अंत में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन दल्ली-राजहरा की लड़ाई जारी रही। रिहाई के बाद का. नियोगी दल्ली-राजहरा की समस्याओं को लेकर दिल्ली गये थे। यह लम्बी बातचीत उनसे पत्रकार पंकज शर्मा की वहीं हुई थी। "नई-दुनिया" के १४ जून, १९८१ अंक में यह बातचीत "गुहा नियोगी कौन है और क्या चाहते हैं" नाम से छपी थी। उस बातचीत को जस का तस यहां छाप रहे हैं।)

सवाल : नये समाज की रूपरेखा आप बताते हैं। लेकिन नये समाज का बुनियादी आधार आप क्या मानते हैं ? मार्क्सवाद लेनिनवाद या....?

जवाब : मूल आधार है मार्क्सवाद–लेनिनवाद के आधार पर एक नई समाज व्यवस्था बनाना। और मार्क्सवाद लेनिनवाद भारत की विशेष परिस्थितियों के मुताबिक लागू करना होगा।

सवाल : विशेष परिस्थितियां क्या है ?

जवाब : मार्क्सवाद जो है, वह एक विज्ञान है। उसका विकास होता रहता है। अमेरिका में किसी एक दवा की वहां के मौसम के मुताबिक लोगों को जितनी खुराक दी जाती हैं, उतनी ही खुराक हर देश में नहीं चल सकती। इसी तरह मार्क्सवाद-लेनिनवाद को इस देश की परिस्थितियों के मुताबिक लागू करना होगा।

सवाल : छत्तीसगढ़ में सिर्फ यह लड़ाई है आपकी कि मजदूर को मजदूरी ज्यादा मिले या कोई वर्ग-चेतना भी विकसित कर रहे है आप ?

जवाब : देखिए, मार्क्सवाद–लेनिनवाद है क्या ? यह वर्ग संघर्ष के लिए एक वैचारिक सिद्धान्त है और वर्ग संघर्ष किताबों में नहीं होता। वर्ग संघर्ष जीवन में होता है। जैसे ही शोषक वर्ग के साथ शोषित वर्ग की लड़ाई शुरू होती है, वैसे ही पहली शिक्षा मिलती है लोगों को कि यह वर्ग संघर्ष है उनका मार्क्सवाद यही है–– जीवन से जुड़ा हुआ। फिर मार्क्सवाद का एक रूप और है– समाज का वैज्ञानिक विकास। लोगों को यह बताना कि परिवर्तन के दौरान कौन सी मुख्य ताकतें है, जो नेतृत्व करेगी और कौन सी ताकतें है जो साथ देंगी। इसके लिए हम किताबें खरीदते हैं मजदूरों के लिए। कुछ किताबें हमने स्थानीय संघर्ष के अनुभवों के आधार पर खुद भी छपवा ली है। वे हम पढ़ कर सुनाते हैं। हर बुधवार को यूनियन के दफ्तर में बैठक होती है। ५-७ सौ लोग शरीक होते हैं। बातचीत करते है। इस तरह आम आदमी के जीवन से हमारा मार्क्सवाद शुरू होता है। भारत में जो मार्क्सवाद चल रहा है, वह किताब से आदमी पर आता है।

हमारा मार्क्सवाद जीवन से आता है। वह व्यवहारिक है।

सवाल : आपके पूरे आंदोलन का मजदूरों के सामाजिक जीवन पर क्या असर दिखाई पड़ता है ?

जवाब : देखिए, हमने आर्थिक मुद्दों पर कभी लड़ाई नहीं की। हमने सबसे पहले इज्जत की लड़ाई की। हमने कहा प्रबधकों से कि खदानों में आपको इस ढंग से काम चलाना चाहिए और आप इस तरह नहीं चला रहे हैं। तो हमने जब काम की स्थितियों के बारे में बताया तो नौकरशाहों ने कहा कि तुम मजदूर हो, तुम कौन होते हो बताने वाले ? एक मामुली मजदूर को 'वर्किंग कंडीशंस' के बारे में बताने की जरूरत क्या है ? तो हमने कहा कि देश हमारा है और उसके उत्पादन में हमारा श्रम लगा है, तो इसमें हमारा हिस्सा भी है। इसलिए उत्पादन वृद्धि के मामले में हमारी विचार बुद्धि भी काम करना चाहिए। वे बोले कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात। तो हमने कहा कि कार्य-स्थितियां ठीक न होने से जो नुकसान होगा, उसकी आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। हमने कहा कि 'फाल बेक वेज' देना पड़ेगा। यानि काम हम करना चाहते है। पर काम नहीं मिल रहा है। काम तुम नहीं दे रहे हो। उससे मजदूरी में जो फर्क पड़ रहा है वह देना पड़ेगा। यानि कुल मजदूरी का ८० प्रतिशत बैठे-बैठे दो। तो इज्जत के सवाल से शुरू होकर मांग आर्थिक बन गई। इससे हमारी मजदूरी जो ३-४ रूपये रोज थी, वह अपने आप बढ़कर ११.रू ९६ पै. हो गई। प्रबंधकों ने सोचा कि बैठे-बैठे पैसे देने पड़ते हैं तो 'वर्किंग कंडीशंस' हो सुधार दो। दूसरी बात हमने कही कि आप लोग क्वार्टर में रहते हैं। ऐसे क्वार्टर हमारे लिए भी बना दो। हम भी मेहनत करके खाते हैं। तुम्हारे लिए इतना आराम है तो हमारे लिए क्यों न हो ? यह भी हमारी इज्जत का सवाल है। तो इस मुद्दे से फिर एक मांग पैदा हो गई आर्थिक। उन्होंने मांग मानी कि ठीक है, भई, इन लोगों को घर द्वार सुधारने के लिए १०० रू. दिए जायें। इन दोनों मांगों के लिए सन् ७७ में हमें गोली भी खानी पड़ी। हमारी लड़ाई तो थी कि हम कम नहीं है तुमसे। मांग तो उन्होंने ही बना दी।

सवाल : आपने पहले एक बार बताया था कि शराब ठेकेदारों

के हथियार बंद गिरोह है आपके इलाके में और वे हमले करते है आपके लोगों पर। तो आप अपने लोगों को मुकाबला करने के लिए किस तरह तैयार करते हैं।

जवाब : अपने को हमने सिर्फ मजदूर आन्दोलन तक सीमित नहीं रखा है। अभी न्यूनतम मजदूरी है हमारे यहां १९ रू. ९० पैसे। ६५ रू. और एडवांस भी मिलता है। तो २३-२४ रू. रोज तक मजदूरी है कम से कम। एक परिवार में दो आदमी काम करते हैं। तो हमें लगा कि इतना कमाने के बावजूद पैसा नहीं बचता है लोगों के पास। पैसा ज्यादा मिलने से दो नुकसान हो रहे थे। एक तो लोग काम पर नियमित नहीं आते थे। कड़ी मेहनत का काम है। रविवार को अगर आराम मिल गया तो सोमवार को काम पर जाने की इच्छा नहीं होती थी लोगों की, क्योंकि पैसे पहले ही बहुत मिल चुके होते थे। दूसरे मजदूर शराब भी बहुत पीने लगे थे। तो हमने शराब के खिलाफ मुहीम चलाई और कहा कि उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। उत्पादन पर ध्यान देने की बात वैसे सिर्फ सत्तापक्ष के ही कुछ लोग बोलते हैं। उनका मकसद रहता है, वर्ग संघर्ष से ध्यान हटाना। इसलिए वे कहते है कि उत्पादन पर ध्यान दो। वैसे. उत्पादन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। पर जो वर्ग संघर्ष के साथ उत्पादन पर ध्यान देने की बात है, वह हमारे देश में किसी भी मार्क्सवादी या लेनिनवादी... नहीं, नहीं, 'किसी भी' तो नहीं कह सकता... यानि बड़े बड़े मार्क्सवादियों ने कभी यह बात नहीं सिखाई कि उत्पादन भी बढ़ाया जाय। हमने लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी काम हो तो ही छुट्टी लें। तो इस तरह चलता रहा सब कुछ। लोगों ने शराब भी पीना छोड़ा। इससे शराब वालों का नुकसान हुआ। उनके पास गुण्डे हैं। हथियार हैं। हमारे पास एक ही हथियार है– संगठन का अनुशासन। हम बस यह जानते हैं कि वर्ग संघर्ष के रास्ते में जो भी रूकावट डालेगा, हम उससे हम निपट लेंगे। वह जिस ढंग से हम पर हमला करेगा हम उसी ढंग से उसका विरोध करेंगे। हमारे साथ अगर बल प्रयोग होगा तो हम भी बल प्रयोग करेंगे। पर शोषक वर्ग कभी सीधे नहीं निपटता। उनके पास नौकर होते हैं और वे नौकरों से हमला करवाते हैं। पुलिस भी उनकी नौकर हैं। गुण्डे बदमाश उनके

निजी नौकर हैं। गुण्डों से लोकतांत्रिक लड़ाई तो हो नहीं सकती। उनसे निपटने का तरीका जो हमारे पास है वह यह है कि हम प्रचार कर देते हैं कि फलां गुंडे फलां आदमी के भाड़े के टट्टू हैं और यदि हमारे किसी आदमी पर इन्होंने हमला किया तो ये किराए के लोग नहीं, वह शोषक वर्ग का प्रतिनिधि जिम्मेदार होगा। इससे होता यह है कि वह असली हमलावर अपने नौकरों से कहता है कि नहीं, अभी कुछ मत करो, वरना हम पर बात आयेगी।

सवाल : बदमाशों के पास तो बंदूक पिस्तौल होती है। उनका मुकाबला कैसे करते हैं आप लोग ?

जवाब : बंदूक पिस्तौल से हमला आज तक हम पर हुआ नहीं। हां तलवारों से जरूर हुआ है एक बार बालोद शहर में। बाजार का दिन था। बुधवार। रास्ते में मुझ पर पीछे से हमला किया गया तलवारों से। एक औरत यह सब देख रही थी। वह मुझ पर कूद पड़ी। मैं गिर गया। उस औरत की एक उंगली कट गयी। उसने बचा लिया। तो हम तो लोगों के ही भरोसे हैं। हमारे पास न तो ब्लेड रहता है, न आलपिन। नैतिक हथियार सबसे बड़ा है बस।

सवाल : लेकिन वर्ग संघर्ष सिर्फ नैतिक हथियार से तो नहीं होता।

जवाब : यह तो फिर किसी दिन बताएंगे। आज जब जनता जागृत नहीं है और यह भी नहीं समझ पा रही है कि संजय गांधी के रास्ते से मुक्ति मिलेगी या किसी और रास्ते से। जब लोग यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि सामाजिक विकास का आखिर कौन सा रास्ता सही है तो... विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की जो भावना पैदा हुई है वहां लोग अपने-अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं। हमें छोड़कर भी बहुत लोग हैं जो बहुत तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। जब व्यापक जनता जाग जाएगी तो यह परिस्थितियां तय करेंगी तब की कि कौन सा रास्ता लोग अपनाएंगे।

सवाल : सी.पी.आई., सी.पी.एम. और नक्सलवादियों के बारे में आपकी स्पष्ट राय क्या है ? क्या इनसे अलग रहकर ?...

जवाब : सी.पी.आई. का जहां तक सवाल है, ये लोग तो अभी जनता से

जुड़े हुए हैं नहीं। ये लोग जिस समाज के हैं, उसका प्रतिनिधत्व नहीं करते। सी.पी.एम. की बात यह है कि उसके 'केडर' के कुछ लोग जरूर जनता से जुड़े हुए हैं, पर उनके नेता आज भी उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

सवाल : अब एक संगठन और बच गया—— नक्सलवादी ?

जवाब : नक्सलवादी तो कोई शब्द ही नहीं है। यह तो इस देश में एक कृत्रिम शब्द है। नक्सलपंथी जैसी कोई चीज नहीं हैं। लेकिन मार्क्सवाद लेनिनवाद के नाम पर कुछ-गुट जरूर काम कर रहे हैं। जहां तक उन्हें मैं जानता हूं, उनके साथ अपना तालमेल मैं बैठा नहीं पाया, क्योंकि उनका जो तरीका है काम करन का और सोचने का, मुझे नहीं लगता कि भारत की जमीन और उसके उत्पादक वर्ग से वे लोग भी कोई विशेष जुड़े हुए हैं। उनके पास भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।

सवाल : आपको ऐसा नहीं लगता कि वामपंथी ताकतों में वे ही हैं जो सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं उत्पादक वर्ग से ?

जवाब : यह वामपंथी शब्द कहां स आया ? यह आया इंग्लैंड से। वहां संसद में बांयी तरफ मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि बैठते थे। तो मजदूर वर्ग का यहां कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं करता तो वामपंथ का मतलब ही क्या? मैंने पहले हो कहा कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कोई भी उत्पादक ताकतों का प्रतिनिधत्व नहीं करता।

सवाल : जो मिल मजदूर है जिस तरह सी.पी.आई. और सी.पी. एम. का उन पर काफी असर है, वैसे हो, जिन्हें हम नक्सलपंथी कहते है उनके प्रभाव क्षेत्र में, आंध्रप्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र– श्रीकाकुलम का इलाका खासतौर से, तमिलनाडु का, धरमपुरी का, उत्तरपूर्व का अच्छा खासा इलाका है। वे सशस्त्र क्रांति के जरिये व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते है। उन्हें आप क्या मानते है ?

जवाब : आपकी कितनी जानकारो है, मुझे मालूम नहीं और मेरी भी इस विषय में ज्यादा जानकारी नही हैं। परंतु मैं जितना जानता हूं, उसके

हिसाब से कह रहा हूं कि जो लोग मार्क्सवाद लेनिनवाद पढ़कर जनता में नई चेतना और देश में नई उत्पादन पद्धति के विकास में लगे हैं, वे जरूर अच्छे होंगे। लेकिन इस बारे में कोई ऐसी मिसाल आपके पास है क्या कि किस किस जगह नई उत्पादन पद्धति का इन लोगों ने विकास किया ?

सवाल : सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आप मजदूरों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण समझते है या किसानों की ?

जवाब : दोनों को जुड़ना पड़ेगा। तभी होगा। पर मजदूरों का नेतृत्व जरूरी है। किसान अभी नेतृत्व की स्थिति में नहीं है।

सवाल : लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मजदूरों के रहन-सहन का स्तर ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों उसमें अर्थवाद आने लगता है। वह सुविधाभोगी भी होता जाता है। आपके यहां, छत्तीसगढ़ में भी वेतन बढ़ेगा तो यह अर्थवाद आएगा ही।

जवाब : संगठन का जो ध्येय होता है, वैसे ही सब कुछ होता है। हम लोगों ने अब तक यही तो सिखाया कि इंकलाब जिन्दाबाद करो और अपनी रोजी बढ़ाओ। हमने कभी भी तो नहीं कहा कि आप उत्पादन भी करो। कोई ट्रेड यूनियन नेता बोला आज तक कि उत्पादन भी बढ़ाओ ? शोषण से बचने के लिए मजदूर संगठनों ने बस आर्थिक मांग ही सिखाई। समाज की जो स्थिति है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। पहले मजदूर १२ घंटे काम करता था। अब ८ घंटे की ड्यूटी हो गई। लेकिन किसी यूनियन ने बताया कभी कि बचे हुए चार घंटों का कैसे सदुपयोग करें ? हमको बोनस ज्यादा चाहिए। ठीक है। पर ज्यादा बोनस के लिए उत्पादन भी तो ज्यादा होना चाहिए न। अगर सरकार या मालिक जानबूझकर उत्पादन कम कर रहा है तो दबाव डालकर उत्पादन बढ़वाना चाहिए। यह बात कभी किसी यूनियन ने उठाई है ? हमारे देश में तो उत्पादन बहुत हो सकता है। कच्चा माल बहुत है। आदमी भी बहुत है। बाजार भी बहुत है। पर यहां का पूंजीपति वर्ग उत्पादन करना ही नहीं चाहता। हमें दबाव डालना चाहिए कि उत्पादन करना पड़ेगा। वरना हम हरजाना लेंगे। कृषि उत्पादन में भी यही होता है। टमाटर दस पैसे किलो बिकता है।

गेहूं सड़ा दिया जाता है, पर बाजार में नहीं भेजा जाता। सरकार से मांग होता है कि अनाज की कीमत बढ़ाओ। यह मांग वे जमींदार करते हैं जो अनाज की जमाखोरी कर सकते हैं। तो भाव बढ़ने से लाभ होगा तो उन्हीं को होगा, किसानों को नहीं। इस वार हमारी यूनियन का कार्यक्रम था कि सीधे अनाज खरीद कर मजदूरों में बांटे। हमने हिसाब लगाया कि मजदूरों को इतना धान चाहिए। हम किसानों के पास गये कि अगर आपका धान बेचना है तो हमें बेच दिजीये। हम मडी से पांच रू. ज्यादा देंगे। पर इस वार कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। मैं गिरफ्तार हो गया। और भी साथी जेल चले गये। सबने काम बंद कर दिया। तो सब बिखर गया इस बार।

सवाल : आप सामाजिक परिवर्तन में मजदूरों की भूमिका सब से आगे मानते है। शंका यह है कि भारत में विकास की जो प्रक्रिया है वह अमेरिकी पद्धति पर है और मजदूर का जो क्रांति-कारी चरित्र होना चाहिए था वह समय के साथ विकसित हुआ नहीं है, बल्कि वह प्रतिक्रांति की दिशा में जा रहा है। जैसे अमेरिका में मजदूरों ने कभी खास विरोध ही नहीं किया। वियत-नाम युद्ध का विरोध वहां के छात्रों और उन युवकों ने किया, जिन्हें नशीली दवाओं का आदी कहा जाता है। अमेरिका के बड़े कम्पनियों के मजदूर खामोश रहे। इसी तरह भारत में भी बड़े कारखानों के मजदूरों में यानि ज़्यादा वेतन है जहां, वहां वर्ग-चेतना का अभाव देखनें में आता है। तो इस मजदूर का नेतृत्व कुल मिलाकर कैसा होगा सामाजिक परिवर्तन के दौर में ?

जवाब : भारत का आर्थिक विकास अमेरिकी पद्धति पर हो रहा है यह सही नहीं हैं। हमारे देश में न अमरिकी पद्धति चल रही है न रूसी पद्धति और न ब्रिटिश पद्धति। हमारे देश में भारतीय पद्धति ही चल रही है। आज भी सामंती पद्धति है। गांवों में विशुद्ध सामंती पद्धति हैं। शहरों में मिली जुली संस्कृति है। हां कस्बों में पूंजीवादी प्रवृत्ति जरूर हैं।

सवाल : सामंतवाद तो है पर पूंजीवाद भी अपने उच्चतम बिंदू तक जा रहा है। आप देखिए कि एशिया, अफ्रीका और तीसरी दुनिया के देशों में हमारी जो कम्पनियां पूंजी लगा रही है वे बिल्कुल उसी तरह शोषण कर रही है, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में।

जवाब : ठीक हैं पर यह नई बात नहीं हैं। पहले भी था ऐसा। दरअसल हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वह बहुत गड़बड़ है। गुलाम कहें तो भी मुश्किल है और आजाद कहें तो भी मुश्किल हैं।

सवाल : अच्छा, श्री झुमुकलाल भेंड़िया से आपका जो संघर्ष है, मैं समझता हूं कि वह श्री अर्जुनसिंह और श्री विद्याचरण शुक्ल की लड़ाई का ही मामला तो नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है वह यह है कि श्री भेंड़िया के खिलाफ आपने श्री शुक्ल से मिलकर मोर्चा बांधा है और श्री शुक्ल से मिलकर आप यह सब कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि श्री शुक्ल से आप मिलते जुलते रहे भी हैं। क्या यह सब सही है ?

जवाब : मैं न श्री भेंड़िया से लड़ रहा हूं और न की अर्जुनसिंह से। हम लोगों की लड़ाई शोषक वर्ग की शोषण पद्धति के खिलाफ हैं। तो इसमें जिसके स्वार्थ पर सबसे पहले चोट पड़ती हैं, वह सामने आ जाता हैं। अब श्री भेंड़िया जो हैं, वे कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भी नहीं। वे एक मामूली आदमी हैं। सत्ता में शक्ति मिल हो जाती है तो वे समझ रहे हैं कि महत्वपूर्ण हैं।

पर उन्हें यह नहीं पता कि शासन कोई मंत्रियों के इशारे पर नहीं चलता। सरकार चलती है एक वर्ग के इशारे पर। तो ये तो रबर स्टाम्प है, साहब। उस वर्ग की जरूरत के मुताबिक स्टाम्प मारते रहते हैं। विद्याचरण शुक्ल का सवाल है तो उनके और अर्जुनसिंह के झगड़े से हमारा क्या लेना देना। रही मिलते जुलते रहने की बात तो मैं बहुत मंत्रियों से मिलता हूं। आपको पता ही है कि कल ही मैं श्री नारायण दत्त तिवारी

से मिला था। पर बिना जरूरत के किसी से भी नहीं मिलता। और जरूरत पड़ेगी तो श्रीमती इंदिरा गांधी से भी मिलूंगा। हमारी जो भी समस्या है उसे सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता हम सदा खुला रखना चाहते हैं। इसी तरह श्री शुक्ल का मामला है। अगर हमारे यहां डीजल की कमी हो और श्री शुक्ल आपूर्ति मंत्री हों तो क्या उनसे नहीं मिलना चाहिए? मजे की बात यह है कि पहले श्री शुक्ल यह आरोप लगाते थे कि मैं श्री भंड़िया से मिला हुआ हूं। फिर श्री भंड़िया यह कहने लगे कि मैं श्री शुक्ल से मिला हुआ हूं। जो गोटी फिट करके राजनीति करते है, उनमें मेरा विश्वास है नहीं।

सवाल : सुना है कि आपने २०हजार लोगों की एक साथ शराब पीना छुड़वा दी। मैं समझता हूं कि नेता का चाहे जितना नैतिक असर हो, लेकिन यह एक बड़ी ही हवाई कल्पना है कि २०हजार लोग एक साथ शराब पीना छोड़ दें। कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में तो लोगों ने शराब पीना छोड़ दी है लेकिन आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री बढ़ गई है और वे वहां जाते है शराब पीने।

जवाब : यह बेबुनियाद प्रचार हैं कि आसपास के इलाकों में शराब की बिक्री बढ़ गई हैं। रही शराब छुड़ाने की बात तो यह एक दिन की बात नहीं हैं कि ऐलान किया हो और लोगों ने शराब छोड़ दी हो। राजहरा में एक लाख की जनसंख्या है और शराब की एक ही दुकान हैं। तो लोग आसपास भी पीने जाए तो कम से कम १५-२० किलो मीटर उन्हें जाना पड़ेगा। यह कतई संभव नहीं हैं। पहले हमारी यूनियन के नेताओं को ही शराब छुड़ाई हमने। ३१पदाधिकारी थे यूनियन के, उनमें सिर्फ दो शराब नहीं पीते थे। पहले हमने उन २९ की शराब छुड़ाई। फिर धीरे धीरे और लोगों की। महीनों लगे। अब करीब ३०-४० हजार लोग शराब छोड़ चुके हैं। डाक्टरों से शराब की बुराइयों पर भाषण करवाते हैं हम। रविशंकर विश्व विद्यालय ने शराब और आर्थिक जीवन पर एक शोधपत्र तैयार किया। हमने मजदूरों को वह बताया। इस तरह हुआ सब। अचा॰

तक नहीं।

सवाल : दल्ली राजहरा की खदानों में कितने मजदूर हैं ?

जवाब : करीब १५ हजार है।

सवाल : उनमें से कितने आपकी यूनियन के सदस्य हैं।

जवाब : दस हजार।

सवाल : बाकी पांच हजार ?

जवाब : बाकी में से कुछ तो एटक के साथ हैं। कुछ सीटू के साथ। नाममात्र के कुछ लोग इंटक के साथ हैं।

सवाल : संघर्ष में एटक और सीटू का आपको सहयोग मिलता है या उनसे भी कभी टकराव की नौबत आई है ?

जवाब : हमारी मुख्य लड़ाई तो सी.पी.आई. के मजदूर संगठन से ही हो रही है।

सवाल : इसकी क्या वजह है ?

जवाब : कई कारण हैं। सब तो बताना उचित नहीं समझता मैं। पर ट्रेड यूनियन की जो नई पद्धति हमने शुरू की है, वह उनके लिए खतरनाक बन गई है, क्योंकि दुकानदारी वाला ट्रेड यूनियनिज्म अब वहां चल नहीं सकता।

सवाल : मतलब सी. पी. आई. का जो ट्रेड यूनियनवाद है वह दुकानदारी है ?

जवाब : वह दुकानदारी वाली पद्धति ही है। उस क्षेत्र में वह चल नहीं सकती, इसलिए वे हमसे नाराज हैं। अब देखिए कि सी. पी. आई. के एक स्थानीय नेता ने अखबारों में वक्तव्य दिया कि नियोगी की गिरफ्तारी से आतंक समाप्त, सीटू के लोगों ने राजहरा में तो मेरी गिरफ्तारी का विरोध किया, पर भोपाल में नहीं। सी.पी.आई. के लोगों ने वहां मेरी गिरफ्तारी का समर्थन किया पर केन्द्रीय नेताओं ने विरोध किया। जनता पार्टी और लोकदल के नेताओं तक ने मेरी गिरफ्तारी का विरोध किया।

सवाल : तो इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं कि सी.पी.

आई. के लोग दिल्ली में तो आपकी गिरफ्तारी का विरोध करते है पर बल्ली में समर्थन ?

जवाब : विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।

सवाल : एक बात बताइये नियोगी साहब कि यूनियन का काम चलाने के लिए आर्थिक स्रोत मजदूरों से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क ही है या और भी कोई व्यवस्था है ?

जवाब : हमारे आर्थिक स्रोतों के बारे में बड़े भ्रम हैं। तीन साल में हमारी यूनियन की जितनी सम्पत्ति बनी है शायद और किसी यूनियन की नहीं। हमारी यूनियन की इमारत है। हमारे पास जीप है। प्रोजेक्टर है। टेप रिकार्डर है। लाऊड स्पीकर है। कुर्सियां है। बहुत सी चीजें हैं। ज्यादातर चीजें मजदूरों ने दान में दी है। इमारत और जीप के लिए यूनियन ने पहल की थी। बजट बनाकर मजदूरों को बता दिया कि इतने पैसे चाहिए। मजदूरों ने दिए। बाहर से कोई मदद नहीं लेते हम।

सवाल : कितना कोष है आपकी यूनियन के पास ?

जवाब : हमारे पास कोई कोष नहीं है पर हमारे पास कोष की कमी भी नहीं है।

बातचीत २

(इंडियन सोशल इन्स्टीट्यूट द्वारा मोनोग्राफ सीरीज के बीसवें अंक में "ट्रेड यूनियन्स एण्ड इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स इन इंडिया" (भारत में श्रमिक संगठन और औद्योगिक रिश्ते) के अन्तर्गत कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं से साक्षात्कार कर अंग्रेजी में छापे गए थे। इन ट्रेड यूनियन नेताओं में शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी के अलावा कामरेड ए. के. राय, माइकल फर्नांडिस, दत्ता सामंत, डी. थंकप्पन, जार्ज फर्नान्डिस, गणेश पाण्डे, गीता रामकृष्णन, एम. सुब्बु के साक्षात्कार भी छापे गये थे। सभी से पहले से तय कुछ प्रश्न श्री वाल्टर फर्नांडिस द्वारा किये गए थे और जवाबों की रोशनी में भारत के मजदूर आंदोलन की दिशा ढुंढने का प्रयास किया गया था। यहां इस पुस्तिका के सवाल और नियोगी जी द्वारा दिए गए जवाबों के हिन्दी अनुवाद को दिया जा रहा है।)

भारत में श्रमिक संगठन और औद्योगिक रिश्ते

सवाल : आपकी नजर में आज श्रमिक आंदोलन किन मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है ?

नियोगीजी : ये मुख्य समस्याएं आर्थिक मुद्दों के आसपास केन्द्रीत है। असंग-ठित क्षेत्र के ट्रेड युनियन से जुड़े मजदूर बहुत ही असुरक्षित जिन्दगी जीते हैं। अगर वे **इंटक** के सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता हैं। यह असुरक्षा की भावना उन्हें आज की व्यवस्था को स्वीकार करने को वाध्य करती है। संगठित क्षेत्र में, मैनेजमेंट द्वारा दिए जाने वाले एडवांस (अग्रीम राशि) मुख्य समस्याओं में से एक है। स्कूटर एडवांस, फेस्टिवल एडवांस, घर बनाने के लिए एडवांस आदि एडवांस हैं, जो उधारी हैं और मजदूर की महीने की कमाई में से काटी जाती है। हर महीने की कमाई से यह कटोत्री होने से मजदूर को रोज की ज़रूरतें पूरा करने के लिए जितना जरूरी हैं उतना पैसा मिलता नहीं है और यह इधर उधर से उधारी लेने के चक्कर में या और ज्यादा पैसे मांग करने की ओर उन्हें ले जाता हैं और इससे उनका रहन सहन का स्तर घटता जाता है। मजदूर के लिए इन एडवांस को लेना एक प्राथमिक काम हो गया हैं और यह अर्थवाद का सबसे गंदा स्वरूप हैं। इसी अर्थवाद के चलते ही हम देख सकते हैं कि मजदूर क्यों साम्प्रदायिक पार्टियों के पास जाते है. जो उनकी भावनाओं का शोषण करती है और साथ ही उन्हें ज्यादा आर्थिक लाभ दिलाने का वादा करती है। इस प्रकार के अर्थवाद के चलते ही मजदूरों का लड़ाकूपन खत्म हो गया हैं।

सवाल : भारत में हाल के श्रम कानूनों को आप किस दृष्टि से देखते है ?

नियोगीजी : आज हमारी अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास ही केन्द्रीय सवाल हैं। बहुत सारी समस्याओं से निपटना जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है। प्रत्येक क्षेत्रीय

परिस्थिति और प्रत्येक उद्योग के अनुसार मजदूरी की दर तय करने पर बहस चल रही हैं। ठेका मजदूरी प्रथा की धारा १० को सुधारने की जरुरत हैं। पर इस परिवर्तन की जरुरत को संबंधित मंत्री को समझाने के बावजूद, मजदूरों के पक्ष में कानून लागू नहीं किया जा रहा है। जब कभी परिवर्तन किये जाते भी हैं, बहुत बड़े-बड़े रोड़े उसमें अटका दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब न्यूनतम मजदूरी की दर सरकार बढ़ाती हैं, तो वह उन पैसों को वापस लेने के तरीकों को भी बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए बिहार में १५०० नई दारू दुकानें मुख्य रूप से धनबाद कोयला खदान क्षेत्र में खोली गई है।

इसके अलावा, कानून में बहुत सी खामियां हैं, जो मैनेजमेंट के पक्ष में है। उदाहरण के लिए श्रम कानूनों के उल्लंघन करने पर मैनेज-मेन्ट को बहुत कम दण्ड देना पड़ता है, परन्तु इन कानूनों को तोड़ने पर मैनेजमेंट को जो मुनाफा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पर मजदूर को जो दण्ड दिया जाता हैं वह बहुत ज्यादा होता है।

साथ ही हमें यह भी जोड़ना पड़ेगा कि मजदूर जब संगठित हो जाते हैं तो उन्हें कानून की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने लिए बेहतर समझाता खुद कर सकते हैं और ऐसा करने में उनकी अपनी स्वाभिमान की भावना बढ़ती है। कानूनी तौर से जो हक उन्हें मिलना चाहिए, असंगठित होने पर वे मिलते नहीं हैं। अत: अगर अपनी मांगों पर बातचीत करने पर कानून से थोड़ा कम भी अगर मजदूरों को मिलता है, तब भी वह उनकी हिस्सेदारी के बगैर सिर्फ कानूनी तौर पर मिलने वाले फायदे से कीमती हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। भारत में कानून की भूमिका सिर्फ जन-आन्दोलनों को मजबूत बनाने के संदर्भ में हैं, इसके अलावा इनका कोई महत्व नहीं है।

सवाल : १९८० के बाद कोई भी बड़ा श्रमिक आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ है।

नियोगीजी : हाल ही में कोई भी बड़ी हड़ताल मुख्य रूप से मंदी के कारण सफल नहीं हुई है। उद्योग में दिशाहीन उत्पादन हो रहा है। मैनेजमेंट कभी भी यह सवाल नहीं उठाता हैं कि फलां तरह का उत्पादन क्यों

हो रहा हैं। इसी प्रकार से उद्योग मे लगने वाली पूंजी पर भी सवाल नहीं उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भिलाई कारखाने का विस्तार किया जाता है क्योंकि वह विदेशी बाजार पर पूरी तरह से निर्भर हैं परंतु राऊरकेला का कोई विकास नहीं किया जाता जो हमारी देशी मांग की पूर्ति करता हैं। इस परिस्थिति में मैनेजमेंट को स्थानीय जरूरतों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, हड़ताल और उत्पादन में कमी होने से उन्हें फिक्र ही नहीं होती। जिस तरह से कुछ मिलों और चाय बगीचों को बीमार घोषित किया गया हैं वह निवेश की हमारी गलत नीति का जीता जागता उदाहरण हैं। हमारे उद्योग के साथ हम एक पवित्र गाय की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसो गाय जो किसी समय दुधारू थी। परन्तु हमारे उद्योगपति उनमें तब कुछ भी पैसा नहीं लगाते जब वे मुनाफा देने वाले उद्योग रहते हैं। और वे जब मुनाफा देना बंद कर देते हैं, तब उन्हें पवित्र गाय की तरह न तो मरने दिया जाता है और न ही मारा जाता पर उन्हें गौ संरक्षण केन्द्र में भेज दिया जाता है और उन पर दुर्लभ साधन उड़ा दिये जाते हैं। यह इसलिए होता है कि सही निर्णय न लेने के लिए दवाव डाले जाते हैं और बीमार मिलों और कारखानों को सरकार को अपने अधीन लेना पड़ता है। इसलिए हमारे श्रमिक आंदोलन के नेता हड़ताल पर जाना नहीं चाहते क्योंकि इस प्रकार के पूंजी निवेश के कारण हमारे उद्योग घाटा सहन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बम्बई की कपड़ा मिल हड़ताल न तो मांगों के संदर्भ में और न ही मजदूरों को मिले राजनैतिक फायदे के संदर्भ में सफल हुई है। उद्देश्य विहीन उत्पादन के चलते लड़ाई के एक हथियार के रूप में नहीं रह गई है और इसीलिए हड़ताल सफल नहीं हुई है।

सवाल : क्या मजदूर वर्ग उसकी ऐतिहासिक भूमिका अदा कर रहा है ? इसे समझायेंगे आप ?

नियोगीजी : मजदूर वर्ग को उसकी ऐतिहासिक भूमिका अवश्य अदा करना चाहिए परन्तु वह आज ऐसा नही कर रहा है क्योंकि नेतृत्व को अलग तरीके से काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। मजदूर आंदोलन में अर्थवाद तथा उद्देश्य विहीन पूंजी निवेश और उत्पादन के कारण

नेतृत्व अपनी उस राह से भटक रहा है जिस पर चलकर वह मजदूर वर्ग को अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने में मदद कर सकता है।

सवाल : श्रमिक आंदोलन में जो बिखराव है उसे कैसे दूर किया जा सकता है ?

नियोगीजी : मैं यह महसूस करता हूं कि मौजूदा फर्क खत्म होंगे। पहले हिन्दु और मुस्लिमों में साम्प्रदायिक दुश्मनी थी और आज बंगाल में सी. पी.एम. और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बीच है या महाराष्ट्र में सी. पी.एम. और श्रमिक संघटना या शेतकारी संघटना के बीच है। मुलतः ये दुश्मनी पहले की साम्प्रदायिक दुश्मनी से गुणात्मक रूप से फर्क नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही दुश्मनियां नेताओं के बीच है और उसके कारण मजदूर वर्ग का नुकसान हो रहा हैं। मजदूरों के बीच और ज्यादा वर्ग चेतना पैदा करके इस फूट से पार पाया जा सकता है। यह यहां पर हुआ हैं। मेरे गिरफ्तार होने के बाद सरकार न मेरे नाम से बहुत से आदेश जारी करके हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की थी। परन्तु मेरे शारिरीक रूप से वहां मौजूद न होने पर भी हड़ताल जारी रही क्योंकि मजदूर उसे अपनी खुद की कार्यवाही देखते थे, न की मेरी। ऐसा ही दत्ता सामंत के नेतृत्व में प्रिमियर आटो मोबाइल्स में हड़ताल के समय हो चुका हैं।

सवाल : आर्थिक मांगों और मजदूरों के काम से संबंधित मांगों तक ही श्रमिक आंदोलन अधिकतर सीमित रहे हैं। क्या फेक्ट्री गेट पर किए जाने वाले काम ही पर्याप्त है ? इसके साथ कुछ जोड़ने की जरुरत है ? कैसे ?

नियोगीजी : मजदूर संगठन इकाइयों को बस्ती में जा कर काम करना होगा क्योंकि श्रमिक संगठन मजदूर जीवन के सिर्फ एक हिस्से के लिए नहीं हैं। उसे मजदूरों के पूरे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर असर डालना होगा। अगर श्रमिक संगठन उनकी जिन्दगी का एक अभिन्न हिस्सा बनकर काम करेंगे तो इनके सैद्धांतिक और राजनैतिक फर्क दूर हो जायेंगे।

सवाल : आप जिस श्रमिक संगठन से जुड़े है वह किस तरह का है ? क्या आपको लगता है कि जिस संगठन का आप नेतृत्व

करते है वह पर्याप्त है ? क्या श्रमिक संगठन किसी समस्या का सामना कर रहा है ?

नियोगीजी : हम श्रमिक संगठन के आर्थिक पहलूओं से आगे बढ़ कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि मजदूर भी हमें श्रमिक संगठन से बढ़कर कुछ मानते हैं। वो महिला जो उधर बैठी हैं वो एक सामाजिक समस्या को लेकर आई है। वो दूसरा आदमी अपने गांव की जमीन की समस्या के बारे में बात करने आए हैं।

पर हम यह नहीं कह सकते कि हम सफल हो चुके है। अर्थवाद के अलावा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सरकार हमारे नेताओं को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्हें पांच प्रतिशत नेताओं को और कुछ मजदूरों को भ्रष्ट करने में सफलता मिली हैं। मैनेजमेंट के भ्रष्ट करने के प्रभाव से लड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हमें वातावरण को बदलना पड़ेगा और हम भ्रष्ट तरीकों से लड़कर स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे है।

हम दूसरे मुद्दे भी ले रहें हैं। यहां मजदूरों में शराब की आदत एक मुख्य समस्या हैं। ऐसा लगता हैं कि मजदूर बस्ती में पानी के नलों से ज्यादा गैरकानूनी दारू दुकानें हैं। गांव में सामाजिक कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत पीनें वाले आदिवासी यहां आकर शराब के आदी हो जाते हैं, ऐसा उनकी जिन्दगी की अस्थिरता और तनाव के कारण हो रहा हैं। मजदूर धीरे-धीरे अपना आत्म सम्मान खो देते हैं और उनकी संगठित होने और सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी दारू के ऊपर बहुत से पैंसा खर्च हो जाता है, इसलिए मजदूर और ज्यादा पैसे को मांग करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ट्रेड यूनियन अर्थवाद के कुचक्र में घुमती रहती है। मजदूर की वर्ग एकता धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं।

हम इस मुद्दे को उठा रहे है साथ ही दूसरें मुद्दे जैसें मजदूरों के स्वास्थ को भी उटा रहे है। इस क्षेत्र के दूसरे संगठन भी हमें श्रमिक संगठन से बढ़कर कुछ समझते हैं। जो लोग दारू बंदी करना चाहते है वो हमें अपनी दारू बंदी के लिए हो रही मिटींग में बुलाते हैं। हम एक अस्पताल